जरिये मैल

:: न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूँगरपुर (राजस्थान) ::

क्रमांक : स्था./2023/61 दिनांक : 19-12-2023

–:: कार्यालय आदेश ::–

मैं, मुकेश कुमार चावला लिंक अधिकारी, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूँगरपुर एतद्द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 15(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित तिथि में माह–**जनवरी 2024** में आवश्यक दांडिक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान, मृत्युकालिक कथन, सुपुर्दगी व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य अपने न्यायालय में वक्त प्रातः 11.00 ए.एम. से दोपहर 1.00 पी.एम. तक करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करता हूँ :–

माह : जनवरी 2024

क.स.	रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक	न्यायिक अधिकारी	न्यायालय
1.	07-01-2024	**सुश्री शिखा शर्मा**	न्यायिक मजिस्ट्रेट आसपुर
2.	13-01-2024 14-01-2024	**श्रीमती देवांगिनी औदिच्य**	प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड डूंगरपुर
3.	21-01-2024	**श्री दिलीप चौधरी**	ग्राम न्यायालय बिछीवाडा
4.	26-01-2024 27-01-2024	**श्रीमती जयश्री मीणा**	ग्राम न्यायालय आसपुर
5.	28-01-2024	**श्री मुकेश कुमार रेगर**	न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमलवाडा

(1) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड डयूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा किन्ही परिस्थितियों में आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।

(2) उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो उनके स्थान पर उक्त पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड डयूटी करने हेतु विशेष कारणों पर उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

(3) किसी दिवस पर तात्कालिक रूप से अवकाश घोषित कर दिए जाने की अवस्था में उस दिवस से पूर्ववत अवकाश दिवस पर रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करने वाले

अधिकारी द्वारा तात्कालिक घोषित अवकाश दिवस पर भी रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।

(4) अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। संबंधित थानाधिकारी के द्वारा **मात्र विशेष एवं आपवादिक परिस्थितियों में ही मुलजिम को निवास पर पेश किया जावे।** संबंधित न्यायालय का पूर्ण स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

(5) प्रत्येक उक्त न्यायिक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त तिथियों पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेगें। किसी विशेष परिस्थिति में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डूंगरपुर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर से पूर्व अनुमति लेते हुये वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव देते हुये ही मुख्यालय छोड़ सकेगें।

19/12/23

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूँगरपुर (राज.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)

कमांक : स्था./2023/ 1687 **दिनांक:** 19/12/23

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, डूंगरपुर ।
2. श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश महोदय, पोक्सो न्यायालय डूंगरपुर ।
3. श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, डूंगरपुर,/सागवाडा।
4. श्रीमान सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डूंगरपुर ।
5. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर को अपने अधीनस्थ समस्त थानो को सूचित करने हेतु।
6. न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर/सागवाडा।
7. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, डूंगरपुर।
8. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर/आसपुर/सीमलवाडा।
9. न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर।
10. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, आसपुर/बिछीवाडा।
11. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, डूंगरपुर।
12. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, डूंगरपुर को लेख है कि उक्त राजकीय अवकाश के दिवस को संबंधित न्यायालय में ए.पी.पी. की ड्यूटी लगाने की आवश्यक रूप से व्यवस्था करावें।
13. नोटिस बोर्ड।
14. श्रीमान प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा, डूंगरपुर।
15. ड्यूटी ऑफिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, डूंगरपुर।
16. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, डूंगरपुर को वास्ते ऑफिशियल वेबसाईड पर डालने हेतु।
17. कार्यालय प्रति।

19/12/23

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूँगरपुर (राज.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डूंगरपुर (राज.)